



# Haryana Government Gazette

## EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 154-2024/Ext.] CHANDIGARH, WEDNESDAY, OCTOBER 9, 2024 (ASVINA 17, 1946 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 09 अक्टूबर, 2024

**संख्या 26/जीएसटी-2.**— हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19) की धारा 9 की उप-धारा (3) और (4), धारा 11 की उप-धारा (1), धारा 15 की उप-धारा (5) और धारा 148 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जन हित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:—

संशोधन

हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 47/एसटी-2, दिनांक 30 जून, 2017 में,—

(i) सारणी में,—

(क) क्रम संख्या 25 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“25क	शीर्ष 9969 या शीर्ष 9986	किराये पर मीटरिंग उपकरण उपलब्ध कराने, मीटरों/ट्रांसफार्मरों/ कैपेसिटरों आदि का परीक्षण करने, विद्युत कनेक्शन जारी करने, मीटरों/सेवा लाइनों को स्थानांतरित करने, डुप्लिकेट बिल जारी करने आदि के माध्यम से सेवाओं के प्रदाय, जो विद्युत पारेषण और वितरण उपयोगिताओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जाने वाले विद्युत के प्रदाय के लिए प्रासंगिक या सहायक हैं।	शून्य	शून्य”

(ख) क्रम संख्या 44 और उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके पश्चात् प्रविष्टियाँ रखी जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“44क	शीर्ष 9981	अनुदान के रूप में प्रतिफल के विरुद्ध अनुसंधान और विकास सेवाओं का निम्नलिखित द्वारा प्रदाय— (क) किसी सरकारी संस्था द्वारा; या (ख) आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अधीन अधिसूचित किसी अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था।	शून्य	बशर्ते कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का केन्द्रीय अधिनियम 43) की धारा 35 की उपधारा (1) के खंड (ii) या (iii) के अधीन अधिसूचित अनुसंधान संघ, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय या अन्य संस्था को अनुसंधान और विकास सेवा के प्रदाय के समय इस प्रकार अधिसूचित किया गया हो।”

(ग) क्रम संख्या 66 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि रखी जाएगी, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“66क	शीर्ष 9992	केन्द्रीय या राज्य शैक्षिक बोर्ड या परिषद् या किसी अन्य समरूप निकाय, चाहे किसी भी नाम से ज्ञात, द्वारा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, संघराज्यक्षेत्र सरकार, स्थानीय प्राधिकरण, सरकारी प्राधिकरण या सरकारी इकाई द्वारा स्थापित, स्वामित्वाधीन या नियंत्रित स्कूल को प्रदान की गई संबद्धता सेवाएं।	शून्य	शून्य”

(घ) खाना (1), (2), (3), (4) और (5) के नीचे, क्रम संख्या 69 और उसके सामने प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और उसके सामने प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“69	शीर्ष 9992 तथा शीर्ष 9983 तथा शीर्ष 9991	निम्नलिखित द्वारा प्रदान की गई कोई सेवा, (क) भारत सरकार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय कौशल विकास निगम; (ख) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्; (ग) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त पुरस्कार देने वाला निकाय; (घ) राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त मूल्यांकन एजेंसी; (ङ) किसी पुरस्कार देने वाले निकाय से प्रत्यायित प्रशिक्षण निकाय, को राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा मान्यताप्राप्त है। निम्नलिखित के संबंध में— (i) राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम या राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा कार्यान्वित कोई अन्य योजना; या (ii) राष्ट्रीय कौशल प्रमाणन एवं मौद्रिक पुरस्कार योजना के अधीन कोई व्यावसायिक कौशल विकास पाठ्यक्रम; या (iii) कोई राष्ट्रीय कौशल योग्यता रूपरेखा से संबद्ध योग्यता या कौशल जिसके संबंध में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण परिषद् ने योग्यता पैकेज को मंजूरी दी है।”		शून्य”

(ङ) क्रम संख्या 71 के सामने, खाना (3) के नीचे, “राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद्” शब्दों के स्थान पर, “राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

- (ii) पैराग्राफ 2 में,—  
मद (ज) में,—  
(क) उप-मद (i) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद्" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे;  
(ख) उप-मद (ii) में, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा परिषद्" शब्दों के स्थान पर, "राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण परिषद्" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।
2. यह अधिसूचना 10 अक्टूबर, 2024 से लागू होगी।

देविंदर सिंह कल्याण,  
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,  
आबकारी तथा कराधान विभाग।

**HARYANA GOVERNMENT**  
**EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT**

**Notification**

The 9th October, 2024

**No. 26/GST-2.**— In exercise of the powers conferred by sub-sections (3) and (4) of section 9, sub-section (1) of section 11, sub-section (5) of section 15 and section 148 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017, namely:-

**AMENDMENT**

In the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 47/ST-2, dated the 30th June, 2017,-

(i) In the table,-

(A) after serial number 25 and the entries thereagainst, the following serial number and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"25A	Heading 9969 or Heading 9986	Supply of services by way of providing metering equipment on rent, testing for meters/transformers/capacitors etc., releasing electricity connection, shifting of meters/service lines, issuing duplicate bills etc., which are incidental or ancillary to the supply of transmission and distribution of electricity provided by electricity transmission and distribution utilities to their consumers.	Nil	Nil"

(B) after serial number 44 and the entries thereagainst, the following serial numbers and entries thereagainst shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"44A	Heading 9981	Supply of research and development services by- (a) a Government Entity; or (b) a research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 against consideration received in the form of grants.	Nil	Provided that the research association, university, college or other institution, notified under clauses (ii) or (iii) of sub-section (1) of section 35 of the Income Tax Act, 1961 is so notified at the time of supply of the research and development service."

(C) after serial number 66 and the entries relating thereto, the following serial number and entry shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"66A	Heading 9992	Services of affiliation provided by a Central or State Educational Board or Council or any other similar body, by whatever name called, to a school established, owned or controlled by the Central Government, State Government, Union Territory Government, local authority, Governmental authority or Government entity.	Nil	Nil"

(D) for serial number 69 under column (1), and the entries thereagainst under columns (2), (3), (4) and (5), the following shall be substituted, namely:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"69	Heading 9992 or Heading 9983 or Heading 9991	Any services provided by, (a) the National Skill Development Corporation set up by the Government of India; (b) the National Council for Vocational Education and Training; (c) an Awarding Body recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (d) an Assessment Agency recognized by the National Council for Vocational Education and Training; (e) a Training Body accredited with an Awarding Body that is recognized by the National Council for Vocational Education and Training, in relation to- (i) the National Skill Development Programme or any other scheme implemented by the National Skill Development Corporation; or (ii) a vocational skill development course under the National Skill Certification and Monetary Reward Scheme; or (iii) any National Skill Qualification Framework aligned qualification or skill in respect of which the National Council for Vocational Education and Training has approved a qualification package.	Nil	Nil"

(E) against serial number 71, under column (3), for the words "National Council for Vocational Training", the words "National Council for Vocational Education and Training" shall be substituted.

(ii) in paragraph 2,-  
in item (h),-

(a) in sub-item (i), for the words "National Council for Vocational Training", the words "National Council for Vocational Education and Training" shall be substituted.

(b) in sub-item (ii), for the words "National Council for Vocational Training", the words "National Council for Vocational Education and Training" shall be substituted.

2. This notification shall come into force with effect from the 10th day of October, 2024.

DEVINDER SINGH KALYAN,  
Principal Secretary to Government Haryana,  
Excise and Taxation Department.